वित्तीय संस्थान द्वारा स्वीकृत होना चाहिए । पात्र एकक ब्याज मुक्त ऋण पाने के हकदार होंगे जिसके लिए राहत अवधि 3 वर्ष होगी और इसे 7 वर्षों के भीतर अदा करना होगा जो इस योजना के स्वीकृत होने के बाद 3 वर्षों के लिए इसके वास्तविक उत्पाद भुगतान का 50 प्रतिशत होगा । दिय गये ऐसे "उत्पाद ऋणों" की कुल राशि पुनर्स्थापना/आधुनिकीकरण/दिशांतरण की कुल लागत से 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी ।

7. एक भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना की जा रही है जो अत्यंत लघु और लघु उद्योगों के लिए एपेक्स बैंक के रूप में कार्य करेगा । इस बैंक की प्राधिकृत पूंजी 250 करोड़ रु० होगी इसे आई डी बी आई द्वारा दिया जायेगा ।

भारतीय रिजर्व बैंक ने यह सूचित किया है कि जून, 1988 के अंत में 234 गैर लघु औद्योगिक रुग्ण इकाइयों और 8437 लघु औद्योगिक रुग्ण इकाइयों को उपचार कार्यक्रम के अंतर्गत रखा गया है ।

एल पी जी कनेक्शनों का दिया जाना

1378. **श्री राम नरेश यादव :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अब तक दिए गए एल. पी. जी. कनेक्शनों की कुल संख्या कितनी है और वर्ष 1990-91 में राज्यवार कितने नए एल.पी.जी. कनेक्शन दिए जाने का विचार है ; और

(ख) इस संबंध में सरकार के विचाराधीन आवेदनों की संख्या कितनी है और इन्हें कब तक कनेक्शन दे दिए जाने की संभावना है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एस० एस० गुरुपदस्वामी) : (क) 1 फरवरी, 1990 तक देश में करीब 161.06 लाख एल.पी.जी. उपभोक्ता थे जिसका राज्यवार विवरण संलग्न विवरण में दिया गया है । **(नीचे देखिए)** एल.पी.जी. की उपलब्धता, आधारभूत सुविधाओं नए डिस्ट्रीब्यूटरों के आरम्भ होने पर और डिस्ट्रीब्यूटरों के यहां प्रतीक्षा सूची को ध्यान में रखते हुए, ऐसा प्रस्ताव किया गया है कि वर्ष 1990-91 के दौरान राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में 10 लाख नए एल.पी.जी. कनेक्शन दिए जायेंगे ।

(ख) 1 फरवरी, 1990 को करीब 54.67 लाख व्यक्ति डिस्ट्रीब्यूटरों के यहां पंजीकृत प्रतीक्षा सूची में थे । इस प्रतीक्षा सूची को निपटाने में लगने वाले समय की सीमा बताना सम्भव नहीं है ।

विवरण

(आंकड़े लाख में)

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	एल.पी.जी. उपभोक्ताओं की संख्या (1-2-1990 को)
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	12.95
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.08
3.	असम	2.29

1	2	3
4.	बिहार	4.64
5.	गोआ	1.13
6.	गुजरात	15.76
7.	हरियाणा	4.45
8.	हिमाचल प्रदेश	1.00
9.	जम्मू और कश्मीर	1.53
10.	कर्नाटक	7.93
11.	केरल	4.86
12.	मध्य प्रदेश	9.09
13.	महाराष्ट्र	29.39
14.	मणिपुर	0.29
15.	मेघालय	0.20
16.	मिजोरम	0.15
17.	नागालैंड	0.17
18.	उड़ीसा	1.90
19.	पंजाब	5.85
20.	राजस्थान	5.44
21.	सिक्किम	0.04
22.	तमिलनाडु	13.60
23.	त्रिपुरा	0.20
24.	उत्तर प्रदेश	17.16
25.	वैस्ट बंगाल	7.83
	संघ राज्य क्षेत्र	
26.	अंडमान और निकोबार	0.04
27.	चंडीगढ़	1.17
28.	दादार और नागर हवेली	0.03
29.	दिल्ली	11.55
30.	दमन और द्वीय	0.06
31.	लक्षद्वीप	0.00141
32.	पांडिचेरी	0.28
	योग	161.06